



**जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०**

(संयोजित सरकार का उपक्रम)
न्यू पावर हाऊस, इन्टरनेशनल रोड, जोधपुर-342 003 फोन नं. 0291 2651277 (फैक्स) फोन नं. 2741870
क्यांक- प्रिनि/जोकिविनिनि/अनु-नीपीएम/पत्रांसामान्य / प्रेसो ५८ जोधपुर,दिनांक- (21/11/2004)

आदेश

विषय :- कृषि कनेक्शनों के क्षेत्रवार औसत लोड का निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

जिन आवेदकों ने सामान्य श्रेणी में कृषि कनेक्शन लेने हेतु 10-15 वर्ष पहले आवेदन किया था उनको कनेक्शन देने की कार्यवाही की जाती है। उक्त समय राज्य में भूजल स्तर काफी उपर था। उसी के अनुरूप आवेदकों ने अपने आवेदन पत्रों में कम लोड अंकित किया था परन्तु अब वर्तमान में विगत वर्षों में अकाल व सूखे की वजह से कुओं का जल स्तर अत्यधिक नीचे गला गया है। इसलिये अब जो कनेक्शन जारी किये जाते हैं, उन कृषकों द्वारा उच्च क्षमता के पम्प सैट ही उपयोग में लिये जायेंगे। अतः इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि :-

1. अधीक्षण अभियन्ता (पब्लिस) अपने क्षेत्र में लगे हुए पम्प सैटों का सर्वे करवाकर क्षेत्रवार लोड का निर्धारण कर औसत लोड का 30 अक्टूबर 2004 तक कृषकों के सूचनाई एवं आपत्तियों हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवायेगे।
2. कृषकों से आपत्तियों प्राप्त होने की आदिता दिधि 15 मई 2004 रली जाये।
3. आपत्तियों के तारे में अधीक्षण अभियन्ता (पब्लिस) अपने स्तर पर निर्णय लेकर लोड को औसत क्षेत्रवार निर्धारण करने के पश्चात 31 मई 2004 तक कृषकों के सूचनाई स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवायेगे।

उपरोक्त औसत भार के आधार पर ही सम्बन्धित सहायक / अधीक्षणी अभियन्ता द्वारा कृषि कनेक्शनों के पत्र जारी करने की कार्यवाही करेगे।

(आर.एस. चौधरी)
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर।